1 एस.सी.आर. 623 : 2024 आईएनएससी 49

मरियम फसीहुद्दीन एवं अन.

बनाम

अदुगुड़ी पुलिस स्टेशन द्वारा राज्य एवं अन.

(आपराधिक अपील संख्या 335/2024)

22 जनवरी 2024

[न्यायमूर्ति सूर्य कान्त* तथा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता]

विचारणीय मुद्दा

प्रतिवादी संख्या 2 के आरोपों का सार यह है कि अभियोगियों ने कथित रूप से नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत पासपोर्ट आवेदन पर उसका हस्ताक्षर जालसाजी की। क्या अभियोगियों के कार्य प्रथम दृष्टया धारा 420 आईके अपराध भारतीय दंड संहिता के .सी.पी. अधीन धोखाधड़ी का गठन करते हैं; क्या धारा 468 तथा 471 आईके अधीन जालसाजी के .सी.पी. लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है; क्या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(खका (उल्लंघन हुआ है; क्या जांच अधिकारी द्वारा पूरक रिपोर्ट में लिए गए निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए कोई नया साक्ष्य न मिलने के अभाव में, न्यायिक मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट में जांच की कठोरता का अभाव था तथा यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में विफल रही।

शीर्ष टिप्पणियां

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धोखाधड़ी तथा जालसाजी – अभियोगियों की धारा 420, 468, 471, 120- बी, 201 पठित धारा 34 आई.पी.सी. के अधीन उन्हें छुट्टी देने की प्रार्थना को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया – औचित्य:

निर्णय: मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोगी-पत्नी ने आपसी

*लेखक

वैवाहिक विश्वास की अवधारणा का उल्लंघन किया प्रतीत होता है तथा उनके नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति को अनधिकृत रूप से प्रस्तुत किया – हालांकि, यह प्रश्न बना रहता है कि ऐसा कार्य किस प्रकार 'छलपूर्ण' कहा जा सकता है – अभियोगियों में से किसी को भी नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले उद्देश्य छल पर आधारित नहीं थे – इसके अलावा, नाबालिग बच्चे को जारी पासपोर्ट से अभियोगी-पत्नी को कोई लाभ नहीं हुआ, न ही इससे प्रतिवादी संख्या 2 को कोई हानि या क्षति हुई – उसी प्रकार, अभियोगी संख्या 2, जो अभियोगी-पत्नी के पिता हैं तथा बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने वाले, इस कार्य से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं किया - यह अनुदान सर्वोत्तम रूप से नाबालिग बच्चे द्वारा संपत्ति प्राप्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है – चूंकि नाबालिग बच्चे द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिवादी संख्या 2 को किसी हानि, क्षति या चोट के खर्च पर नहीं हुआ, अतः धोखाधड़ी के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक 'छल' तथा 'क्षति या चोट' के दोनों मूलभूत तत्व इस तथ्यात्मक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं – जालसाजी के संदर्भ में, 'जालसाजी' तथा 'धोखाधड़ी' के अपराध परस्पर कटुबद्ध तथा समाहित होते हैं, क्योंकि जालसाजी का कार्य किसी व्यक्ति को धोखा देने या छल करने के इरादे से किया जाता है – अभियोगियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर जालसाजी करके किसी झूठे दस्तावेज को तैयार किया गया या नहीं, इसका निर्धारण इस चरण पर प्रथम दृष्टया भी निश्चित नहीं किया जा सकता – धोखाधारित्री इरादे का प्राथमिक तत्व स्वयं अभियोगियों के विरुद्ध स्थापित न होने के दृष्टिगत, जालसाजी का अपराध भी खड़ा होने योग्य नहीं है – 'धोखाधड़ी' तथा 'जालसाजी' के प्रारंभिक तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं – इसलिए, अभियोगियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही का निरंतरता विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग ही है – उच्च न्यायालय तथा परीक्षण न्यायालय के आवेदित निर्णय निरस्त किए जाते हैं। [अनुच्छेद 16, 18, 20, 23, 34, 39]

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 – धारा 12(बी) – क्या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(बी) का उल्लंघन हुआ:

निर्णय: धारा 12(बी) स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि जो कोई जानबूझकर कोई झूठी सूचना प्रस्तुत करे या कोई सामग्री सूचना दबाए, इस अधिनियम के अधीन पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के उद्देश्य से या वैधानिक प्राधिकार के बिना, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों को संशोधित करे या संशोधित करने का प्रयास करे या संशोधित करवाए – प्रावधान की भाषा से स्पष्ट है कि यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने जानबूझकर झूठी सूचना प्रस्तुत की या सामग्री सूचना दबाई पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के इरादे से – वर्तमान मामले में, यह विचारणीय है कि राज्य एफएसएल रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पासपोर्ट आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी अनिर्णायक थी – इसके अलावा, इस प्रकार के अपराध का संज्ञान केवल निर्धारित प्राधिकारी के उदाहरण पर ही लिया जा सकता है – अभियोगियों के विरुद्ध इस आशय का कोई शिकायत प्रकट नहीं की गई है – न्यायालय अनुमान और गुमानों के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता। [अनुच्छेद 35, 36]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 173(8) – प्रतिवादी संख्या 2 ने धारा 173(8) द.प्र.सं. का आह्वान किया तथा संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 468 तथा 471 आई.पी.सी. के अपराधों की आगे जांच की मांग की – परीक्षण मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी संख्या 2 की आगे जांच के लिए प्रार्थना को अनुमत किया – इसके परिणामस्वरूप, जांच एजेंसी ने अभियोगियों के विरुद्ध पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया – औचित्य:

निर्णय: यह रिकॉर्ड का विषय है कि 'आगे जांच' के दौरान जांच एजेंसी द्वारा कोई नया सामग्री उजागर नहीं की गई – इसके बजाय, पूरक आरोप-पत्र प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्राप्त 15.07.2013 की तिथि वाली ड्रुथ लैब रिपोर्ट पर निर्भर करता है, जो मूल आरोप-पत्र दाखिल करते समय पहले से उपलब्ध थी – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) में विनिर्दिष्ट 'आगे जांच' शब्द संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को 'आगे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने' का दायित्व सौंपता है, तथा उसके बाद ही ऐसी साक्ष्य के संबंध में निर्धारित प्रारूप में पूरक रिपोर्ट प्रेषित करने का – पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान इस निष्कर्ष पर इंगित करता है कि नया मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए न कि पहले से संग्रहित तथा जांच एजेंसी द्वारा मूल पुलिस रिपोर्ट (जिसे धारा 173(2) द.प्र.सं. के अधीन आरोप-पत्र कहा जाता है) प्रस्तुत करते समय विचारित सामग्री का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन – पूरक रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा लिए गए निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए कोई नया साक्ष्य न मिलने के अभाव

में, न्यायिक मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट में जांच की कठोरता का अभाव है तथा यह धारा 173(8) द.प्र.सं. की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में विफल है – जांच एजेंसी ने परीक्षण मजिस्ट्रेट के आदेश के कथित अनुपालन में यांत्रिक रूप से कार्य किया। [अनुच्छेद 26 तथा 27]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धोखाधड़ी – इसके घटक:

निर्णय: धारा 420 आई.पी.सी. के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह सर्वोपरि है कि अभियोजन को न केवल यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी ने किसी को धोखा दिया है बल्कि ऐसा करने से उसने धोखा दिए गए व्यक्ति को संपत्ति सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया है – इसलिए, इस अपराध के तीन घटक हैं, अर्थात् (i) किसी व्यक्ति का धोखा, (ii) उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए छलपूर्ण या बेईमानी से प्रेरित करना, तथा (iii) प्रेरणा करते समय आरोपी का मनसब या बेईमानी का इरादा – यह निर्विवाद है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए छलपूर्ण तथा बेईमानी का इरादा प्रतिज्ञा या प्रतिनिधित्व किए जाने के प्रारंभ से ही विद्यमान होना चाहिए। [अनुच्छेद 11]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – जालसाजी – इसके घटक:

निर्णय: 'जालसाजी' के अपराध को स्थापित करने के लिए दो प्राथमिक घटकों को पूर्ण करना आवश्यक है, अर्थात्: (i) कि आरोपी ने कोई दस्तावेज जाली बनाया है; तथा (ii) यह जाली दस्तावेज को धोखा देने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने के इरादे से किया गया – सरल शब्दों में, जालसाजी का अपराध क्षति या चोट पहुंचाने के बेईमानी वाले इरादे से झूठा दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता रखता है। [अनुच्छेद 22]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

क्रिश्ना चावला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 एस.सी.आर. 550: (2021) 5 एस.सी.सी. 435; *सुशील सुरी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो* 8 एस.सी.आर. 1: (2011) 5 एस.सी.सी. 708; *विनय त्यागी बनाम इरशाद अली एवं अन्य* 13 एस.सी.आर. 1005: (2013) 5 एस.सी.सी. 762; *मेनका गांधी बनाम भारत संघ एवं अन.* 2 एस.सी.आर. 621: (1978) 1 एस.सी.सी. 248; *के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ* 8 एस.सी.आर. 1: (2019) 1 एस.सी.सी. 1 – संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ

पी. रामनाथ अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, 6ठा संस्करण, खंड 1, पृ. 903 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; पासपोर्ट अधिनियम, 1967।

कीवर्ड्स की सूची

धोखाधड़ी; धोखाधड़ी के घटक; छलपूर्ण इरादे; बेईमानीपूर्ण इरादे; छल; क्षति; चोट; जालसाजी; जालसाजी के घटक; प्रक्रियागत अनियमितताएँ; विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग; आगे जांच; पूरक आरोप-पत्र; नया मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य।

केस का उद्भव

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकरण: आपराधिक अपील संख्या 335 वर्ष 2024।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 18.02.2021 के निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न, सी.आर.एल.आर.पी. संख्या 692 वर्ष 2018 में।

अधिवक्तागण

अभियोगियों के लिए: रणबीर सिंह यादव, मोहम्मद शरूक, प्रतीक यादव, सुश्री अंजू के. वरकी, सुश्री महेश शर्मा, सुश्री चेम्बुगारी अभीषणा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों के लिए: नरेंद्र होड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, संचित गार्ग, आर. डी. सिंह, सुश्री मिथु जैन, कुणाल राणा, प्रांशु कौशल, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति सूर्य कान्त

1. छुट्टी प्रदान की गई।

2. अभियोगी कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (इसके बाद 'उच्च न्यायालय') द्वारा दिनांक 18.02.2021 के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु के छठे अतिरिक्त मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट (इसके बाद 'परीक्षण मजिस्ट्रेट') द्वारा दिनांक 15.03.2018 के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। परिणामस्वरूप, अभियोगियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2010 के संबंध में, जो बेंगलुरु के अदुगुड़ी पुलिस स्टेशन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आई.पी.सी.') की धारा 420, 468, 471 पठित धारा 34 के अधीन दर्ज है, उन्हें छुट्टी देने की प्रार्थना को समवर्ती रूप से अस्वीकार कर दिया गया।

क. तथ्य

3. वर्तमान कार्यवाही के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार दिए गए हैं:

   3.1. अभियोगी संख्या 1 – पत्नी, तथा प्रतिवादी संख्या 2 – पति का विवाह दिनांक 02.08.2007 को बेंगलुरु में हुआ। उनके विवाह के समय प्रतिवादी संख्या 2 संयुक्त राज्य ब्रिटेन के न्यू कैसल अपॉन टाइन में स्थित सॉफ्टवेयर व्यवसाय में संलग्न थे। इस अवधि के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने कथित रूप से अभियोगी-पत्नी को आश्वासन दिया कि विवाह के बाद वे लंदन में एक साथ निवास करेंगे। अभियोगियों का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रारंभ में अभियोगी-पत्नी को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, किंतु काफी अनुरोध के बाद वह प्रतिवादी संख्या 2 के साथ लंदन गईं। हालांकि, तुरंत बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने कथित रूप से उन्हें त्याग दिया तथा उन्हें उनके भाभी के निवास पर बलपूर्वक बंधक बना दिया। उसी समय प्रतिवादी संख्या 2 भारत लौट आए।

   3.2. अभियोगी संख्या 2, जो अभियोगी-पत्नी के पिता हैं, को उपरोक्त परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना पड़ा तथा पत्नी के भारत लौटने की सुविधा प्रदान करनी पड़ी। उसके बाद, दिनांक 02.06.2008 को अभियोगी-पत्नी ने एक पुत्र का जन्म दिया।

अभियोगियों का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 2 तथा उनके परिवार के सदस्यों ने अभियोगी-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। जनवरी, 2009 में, अभियोगी-पत्नी ने कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के निर्देशों के आधार पर नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि उन्होंने संयुक्त राज्य ब्रिटेन में उनके ठहरने की व्यवस्था कर ली है। थोड़े ही समय बाद, नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट जारी हो गया, तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने भाई-बहनोई डॉ. एम.के. शरीफ से प्रायोजन पत्र प्राप्त किया, जिसे यूनाइटेड किंगडम उच्चायोग को विधिवत प्रेषित किया गया। प्रायोजन पत्र में कहा गया था कि डॉ. एम.के. शरीफ अभियोगी-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य ब्रिटेन की यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था करेंगे तथा विशेष रूप से नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट संख्या का उल्लेख किया गया था।

3.3. हालांकि, अभियोगियों के आरोपों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 के साथ विवाह की अवधि शारीरिक एवं मानसिक यातना से भरी रही, जो केवल प्रतिवादी संख्या 2 की अटल वित्तीय मांगों के कारण थी। विशेष रूप से, प्रतिवादी संख्या 2 ने 2009 के अंत में भारत यात्रा के दौरान अभियोगी-पत्नी को जबरदस्ती एवं यातना दी। इन धमकीपूर्ण कार्यों ने अभियोगी-पत्नी को दिनांक 07.04.2010 को बेंगलुरु के बसवांगुड़ी महिला पुलिस स्टेशन में प्रतिवादी संख्या 2 एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। शिकायत को अपराध संख्या 68/2010 के रूप में दर्ज किया गया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 346, 498क तथा 506 पठित धारा 34 के अधीन है। इसके अतिरिक्त, शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने संयुक्त राज्य ब्रिटेन यात्रा की व्यवस्था करने के बहाने नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट तथा अभियोगी-पत्नी के आभूषण ले लिए।

3.4. अपनी पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत की जानकारी प्राप्त करने पर, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी दिनांक 13.05.2010 को अदुगुड़ी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियोगियों ने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट

आवेदन पर उनके हस्ताक्षर जालसाजी किए तथा इसे बेंगलुरु के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत किया, जब प्रतिवादी संख्या 2 संयुक्त राज्य ब्रिटेन में थे। इस शिकायत को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2010 के रूप में दर्ज किया गया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 तथा 471 पठित धारा 34 के अधीन है (इसके बाद 'संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट')।

3.5. संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में की गई जांच के पश्चात, जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसमें अभियोगियों तथा एक यात्रा एजेंट श्री अक्सर अहमद शरीफ को नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए अभियुक्त ठहराया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 468 तथा 471 के अपराधों के आरोप छोड़ दिए गए। परिणामस्वरूप, परीक्षण मजिस्ट्रेट के समक्ष केवल धारा 420 पठित धारा 34 आई.पी.सी. के दंडनीय अपराधों के लिए सी.सी. संख्या 23545/2011 का मामला प्रारंभ हुआ।

3.6. अभियोगियों ने उपरोक्त आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए आपराधिक याचिका संख्या 3600/2012 दाखिल की, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'द.प्र.सं.') की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों का आह्वान किया गया, किंतु उनकी याचिका दिनांक 22.04.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। हालांकि, अभियोगियों को सी.सी. संख्या 23545/2011 के मामले से छुट्टी प्राप्त करने के लिए परीक्षण मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

3.7. अभियोगियों ने परिणामस्वरूप द.प्र.सं. की धारा 239 के अधीन सी.सी. संख्या 23545/2011 में छुट्टी के लिए आवेदन दाखिल किया। इस बीच, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी द.प्र.सं. की धारा 173(8) का आह्वान किया तथा संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 468 तथा 471 आई.पी.सी. के अपराधों की आगे जांच की मांग की। परीक्षण मजिस्ट्रेट ने दिनांक 24.06.2015 को अलग-अलग आदेशों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की आगे जांच की प्रार्थना को अनुमत किया तथा वास्तविक

शिकायतकर्ता होने के नाते उन्हें आवश्यक साक्ष्य जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, यदि आवश्यक हो। दूसरी ओर, परीक्षण मजिस्ट्रेट ने अभियोगियों के छुट्टी आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 420 आई.पी.सी. के अपराध का गठन हुआ है या नहीं, यह प्रश्न परीक्षण के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

3.8. परीक्षण मजिस्ट्रेट के उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप, जांच एजेंसी ने दिनांक 25.07.2017 को अभियोगियों के विरुद्ध पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 471, 420, 120- बी, 201 पठित धारा 34 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(ख) के अपराध जोड़े गए। इस बिंदु पर यह उजागर करना आवश्यक है कि संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को भी आरोपी संख्या 4 के रूप में अभियुक्त ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से नाबालिग बच्चे के मूल पासपोर्ट की उपलब्धता के संबंध में झूठी सूचना प्रदान की तथा अभियोगियों के साथ मिलकर उसके विनाश में साझेदार बन गए। पूरक आरोप-पत्र में बेंगलुरु, मदिवाला स्थित राज्य अपराध प्रयोगशाला की दिनांक 27.02.2016 की रिपोर्ट (इसके बाद 'राज्य एफएसएल') का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है:

"विभावनाधीन छायाप्रति हस्ताक्षरों क्यू1 से क्यू4 पर मत व्यक्त नहीं किया गया है, क्योंकि विभावनाधीन छायाप्रति हस्ताक्षरों में स्ट्रोक की रेखा गुणवत्ता खराब दिखाई दे रही है।"

3.9. राज्य एफएसएल रिपोर्ट के अतिरिक्त, पूरक आरोप-पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक निजी एजेंसी 'ट्रुथ लैब' से कथित रूप से प्राप्त दिनांक 15.07.2013 की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। इस रिपोर्ट में मत व्यक्त किया गया कि पासपोर्ट आवेदन पर हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर नमूनों से निकट समानता नहीं रखते।

3.10. इन विकासों के पश्चात, जब सी.सी. संख्या 23545/2011 का मामला आरोप सुनवाई के लिए लिया गया, तो अभियोगियों की ओर से तर्क दिया गया कि

आरोप तय करने के कोई आधार नहीं हैं। हालांकि, परीक्षण मजिस्ट्रेट ने दिनांक 15.03.2018 के आदेश द्वारा इस तर्क को खारिज कर दिया तथा उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर दिया।

3.11. अभियोगियों ने परीक्षण मजिस्ट्रेट के आदेश को आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 692/2018 के माध्यम से चुनौती दी, किंतु जैसा कि प्रारंभ में उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने आवेदित आदेश दिनांक 18.02.2021 द्वारा इसे खारिज कर दिया, मुख्य रूप से इस आधार पर कि अभियोगियों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं जो पूर्ण परीक्षण की आवश्यकता रखते हैं।

3.12. क्षुब्ध अभियोगी अब इस न्यायालय के समक्ष हैं।

ख. पक्षकारों के तर्क

4. अभियोगियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रणबीर सिंह यादव ने तर्क दिया कि पासपोर्ट आवेदन में जालसाजी संबंधी प्रतिवादी संख्या 2 की शिकायत मात्र अभियोगी-पत्नी की उनके विरुद्ध क्रूरता के आरोप वाली शिकायत का प्रतिकार था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति दी थी तथा पासपोर्ट जारी होने के बाद उन्होंने अपनी भाभी डॉ. एम.के. शरीफ द्वारा लिखित प्रायोजन पत्र भी भेजा था, जो अभियोगी-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे को लंदन स्थानांतरित करने के लिए था। यह तर्क दिया गया कि यह प्रायोजन पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 2 के उदाहरण पर प्राप्त किया गया था तथा इसमें नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट संख्या का विशेष उल्लेख किया गया था, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति का संकेत मिलता है।

5. श्री यादव ने आगे तर्क दिया कि राज्य एफएसएल द्वारा दिए गए मत कथित जालसाजी के संबंध में अस्पष्ट था, तथा मूल आरोप-पत्र तथा पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने के बीच जांच एजेंसी द्वारा कोई अतिरिक्त सामग्री बिल्कुल प्राप्त नहीं की गई। श्री यादव ने उच्च न्यायालय तथा परीक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 'ट्रुथ लैब' नामक

निजी एजेंसी से प्राप्त हस्तलेख विशेषज्ञ के मत पर निर्भरता को भी रेखांकित किया। उन्होंने जोरदार ढंग से आग्रह किया कि जांच की निष्पक्षता एवं भागीदारी को बनाए रखने के लिए राज्य एफएसएल रिपोर्ट को भुगतान प्राप्त मत की तुलना में सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए था। श्री यादव ने तर्क दिया कि अभियोगियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया। इस न्यायालय के निर्णय *क्रिश्ना चावला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*1 का हवाला देते हुए, उन्होंने परीक्षण मजिस्ट्रेट के कर्तव्य पर बल दिया कि वह उपयुक्त मामलों में आरोपी को छुट्टी देकर तुच्छ अभियोजन को परीक्षण चरण तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दे।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र हुड्डा ने अभियोगियों द्वारा लगाए गए आरोपों का तीव्रता से खंडन किया। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 13.07.2008 से 17.11.2009 की अवधि के दौरान भारत में उपस्थित नहीं थे, जब उनके जाली हस्ताक्षर वाले कथित पासपोर्ट आवेदन को नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि परीक्षण मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से देखा है कि पासपोर्ट अधिकारी (आरोपी संख्या 4), जिन्होंने जानबूझकर मूल पासपोर्ट

1 (2021) 5 एससीसी 435, पैरा 23.

आवेदन को रोक लिया, साक्ष्य विनाश के अपराध में साझीदार थे। इसके अतिरिक्त, श्री हुड्डा ने छुट्टी आवेदन के निर्णय चरण पर ट्रुथ लैब रिपोर्ट को खारिज करने का विरोध किया, इस आधार पर कि राज्य एफएसएल की रिपोर्ट अस्पष्ट थी तथा निजी लैब रिपोर्ट की सत्यता का पता केवल परीक्षण के समय लगाया जा सकता है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रेखांकित विवाद का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के अतिरिक्त, हमने उनके द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए आरोप-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का भी सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

ग. विचारणीय मुद्दे

8. हमारे समक्ष विचारणीय प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या अभियोगियों को परीक्षण की पीड़ा के अधीन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। इस प्रश्न के अनुसरण में निम्नलिखित मुद्दे हमारे आगे विचारणीय उभरते हैं:

(i) क्या अभियोगियों के कार्य प्रथम दृष्टया धारा 420 आई.पी.सी. के अधीन धोखाधड़ी के अपराध का गठन करते हैं?

(ii) क्या धारा 468 तथा 471 आई.पी.सी. के अधीन जालसाजी के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है?

(iii) क्या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(बी) का उल्लंघन हुआ है?

घ. विश्लेषण

9. वर्तमान मामले में अभियोगियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471, 120- बी, 201 पठित धारा 34 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(बी) के दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। इस संदर्भ में, प्रारंभिक चरण पर ही अभियोगियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया स्थापित करने योग्य 'जालसाजी' तथा 'धोखाधड़ी' के तत्वों की गहन जांच करना सर्वोपरि है। हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि ऐसी मूल्यांकन जांच एजेंसी द्वारा संग्रहित सामग्री को इस चरण पर खारिज या अविश्वसनीय न मानने के आधार पर आगे बढ़नी होगी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन धोखाधड़ी का अपराध:

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में प्रावधान है कि जो कोई धोखा दे तथा उसके द्वारा धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने या किसी बहुमूल्य प्रतिभूति के पूरे या किसी भाग को बनाने, संशोधित करने या नष्ट करने, या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित किसी वस्तु को, जो बहुमूल्य प्रतिभूति में परिवर्तित होने योग्य हो, के लिए बेईमानी से प्रेरित करे, उसे सात वर्ष तक के काल के दंड से दंडनीय किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 स्पष्ट

रूप से 'धोखाधड़ी' शब्द को परिभाषित करती है। प्रावधान स्पष्ट करता है कि छलपूर्ण या बेईमानीपूर्ण इरादों से चिह्नित कार्य को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा कोई संपत्ति धारण करने की सहमति देने के लिए प्रेरित करने का इरादा रखता हो, जिससे उस व्यक्ति को क्षति या हानि पहुंचे।

11. इसलिए धारा 420 आई.पी.सी. के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह सर्वोपरि है कि अभियोजन को न केवल यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी ने किसी को धोखा दिया है बल्कि ऐसा करने से उसने धोखा दिए गए व्यक्ति को संपत्ति सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया है। इस अपराध के तीन घटक हैं, अर्थात् (i) किसी व्यक्ति का धोखा, (ii) उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए छलपूर्ण या बेईमानी से प्रेरित करना, तथा (iii) प्रेरणा करते समय आरोपी का मनसब या बेईमानी का इरादा। यह निर्विवाद है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए छलपूर्ण तथा बेईमानी का इरादा प्रतिज्ञा या प्रतिनिधित्व किए जाने के प्रारंभ से ही विद्यमान होना चाहिए।

12. यह प्रसिद्ध है कि प्रत्येक छलपूर्ण कार्य अवैध नहीं होता, जैसे कि प्रत्येक अवैध कार्य छलपूर्ण नहीं होता। कुछ कार्यों को अवैध तथा छलपूर्ण दोनों कहा जा सकता है, तथा केवल ऐसे कार्य ही धारा 420 आई.पी.सी. के दायरे में आते हैं। यह भी समझा जाना चाहिए कि तथ्य का कथन तब 'छलपूर्ण' माना जाता है जब वह मिथ्या हो, तथा जानबूझकर या लापरवाही से इस इरादे से किया गया हो कि दूसरा व्यक्ति उसके आधार पर कार्य करे, जिससे क्षति या हानि हो। 2 'धोखाधड़ी' इसलिए सामान्यतः एक पूर्ववर्ती छलपूर्ण कार्य को सम्मिलित करती है जो बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति का कोई भाग सौंपने के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रेरित व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिसे वह प्रेरणा के अभाव में न करता।

2 पी. रामनाथ अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, छठा संस्करण, वॉल्यूम। 1, पृ. 903.

13. धारा 420 आई.पी.सी. में प्रयुक्त 'संपत्ति' शब्द का एक सुविचारित अर्थ है। स्वामित्व के अधीन प्रत्येक प्रकार का मूल्यवान अधिकार या हित जो विनिमय योग्य मूल्य रखता हो

– सामान्यतः 'संपत्ति' के रूप में समझा जाता है। यह किसी वस्तु के कब्जे, उपयोग एवं निपटान के विशेष अधिकार को भी वर्णित करता है। आई.पी.सी. स्वयं 'चल संपत्ति' शब्द को परिभाषित करती है, "***हर प्रकार की मूर्त संपत्ति को सम्मिलित करने के इरादे से, सिवाय भूमि तथा पृथ्वी से संलग्न वस्तुओं या पृथ्वी से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी वस्तुओं के***।" जबकि अचल संपत्ति सामान्यतः भूमि, भूमि से उत्पन्न लाभ तथा पृथ्वी से संलग्न या स्थायी रूप से बंधी वस्तुओं को कहा जाता है।

14. 'धोखाधड़ी' के अपराध के दायरे को पूर्णतः स्पष्ट करने के बाद, आइए अब वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर रुख करें ताकि यह समझा जा सके कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं: (i) कि अभियोगियों ने प्रतिवादी संख्या 2 को धोखा दिया; (ii) प्रतिवादी संख्या 2 को बेईमानीपूर्ण इरादों से प्रेरित किया गया; (iii) ऐसी प्रेरणा किसी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति की सुपुर्दगी के लिए थी; तथा (iv) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 को कोई क्षति या चोट पहुंची।

15. इनमें से प्रत्येक तत्व का विश्लेषण आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी शिकायत में उपरोक्त बिंदुओं (i) से (iv) को पुष्ट करने के लिए आरोप लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्धारित करने में सहायक होगा कि क्या मूल या पूरक आरोप-पत्र इनमें से किसी तत्व को संबोधित करता है।

16. प्रतिवादी संख्या 2 के आरोपों का सार यह है कि अभियोगियों ने कथित रूप से नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत पासपोर्ट आवेदन पर उनका हस्ताक्षर जालसाजी की। यदि इस आरोप को सही मान लिया जाए, तो यह निस्संदेह एक अवैध कार्य होगा। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अवैध कार्य स्वतः 'छलपूर्ण' नहीं बन जाता। मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोगी-पत्नी ने आपसी वैवाहिक विश्वास की अवधारणा का उल्लंघन किया प्रतीत होता है तथा उनके नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति को अनधिकृत रूप से प्रस्तुत किया। हालांकि, यह प्रश्न बना रहता है कि ऐसा कार्य किस प्रकार 'छलपूर्ण' कहा जा सकता है।

अभियोगियों में से किसी को भी नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले उद्देश्य छल पर आधारित नहीं थे। इसके अलावा, नाबालिग बच्चे को जारी पासपोर्ट से अभियोगी-पत्नी को कोई लाभ नहीं हुआ, न ही इससे प्रतिवादी संख्या 2 को कोई हानि या क्षति हुई। उसी प्रकार, अभियोगी संख्या 2, जो अभियोगी-पत्नी के पिता हैं तथा बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने वाले, इस कार्य से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं किया।

17. इस संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण जांच उभरती है: पासपोर्ट आवेदन पर हस्ताक्षर जालसाजी करने का कार्य, जो नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 को किसी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति का त्याग करने के लिए प्रेरित करने के रूप में कैसे गणना की जा सकती है? स्थिति का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त कार्य प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किसी संपत्ति के त्याग की ओर ले जाने वाली प्रेरणा को सम्मिलित नहीं करता। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा त्यागी गई संपत्ति की प्रकृति या कोई ठोस हानि, क्षति या चोट, यदि कोई हो, कहीं दिखाई नहीं देती। इन प्रश्नों का स्पष्ट नकारात्मक उत्तर है।

18. प्रतिवादी संख्या 2, जो नाबालिग बच्चे के जैविक पिता तथा प्राकृतिक अभिभावक हैं, अपने पुत्र को पासपोर्ट प्रदान करने के संबंध में इस स्थिति में हैं। यह अनुदान सर्वोत्तम रूप से नाबालिग बच्चे द्वारा संपत्ति प्राप्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चूंकि नाबालिग बच्चे द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिवादी संख्या 2 को किसी हानि, क्षति या चोट के खर्च पर नहीं हुआ, अतः धोखाधड़ी के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक 'छल' तथा 'क्षति या चोट' के दोनों मूलभूत तत्व इस तथ्यात्मक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।

19. इसके विपरीत, क्या अभियोगी-पत्नी, जो बच्चे की प्राकृतिक माता तथा प्राकृतिक अभिभावक हैं, अपने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय 'बेईमानीपूर्ण' कार्य करने के लिए अभियुक्त की जा सकती हैं? पासपोर्ट एक अधिकृत साधन है जो किसी व्यक्ति को उसके मूल देश के बाहर यात्रा करने में सक्षम बनाता है। इस मामले में, पासपोर्ट निस्संदेह नाबालिग बच्चे के पक्ष में जारी किया गया था। यह

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चुराया गया था या खो गया था, यह वर्तमान चर्चा के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक है। नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट प्रदान करना विधि द्वारा उसे प्रदत्त अधिकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पासपोर्ट का उद्देश्य उसे अपनी माता के साथ लंदन जाना तथा अपने पिता के साथ रहना सुगम बनाना था। हालांकि, पासपोर्ट प्राप्त करने से बच्चे के कल्याण के लिए हानिकारक होने का कोई आरोप या संकेत भी नहीं है। पासपोर्ट प्राप्त करने का अंतर्निहित इरादा, विडंबनापूर्ण रूप से, अभियोगी-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के साथ एक साथ रहना आवश्यक था, जिनके निर्देशों पर पासपोर्ट कथित रूप से प्राप्त किया गया था। इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 के कार्य ही प्रतीत होते हैं जिन्होंने नाबालिग बच्चे को अपने पिता की देखभाल एवं संगति प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया है, क्योंकि पासपोर्ट को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गुप्त रूप से ले लिया गया था।

20. इस मामले का पृष्ठभूमि एवं घटनाओं का कालक्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह वैवाहिक विवाद का प्रतिबिंब है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किए गए संकेत, भले ही उनमें सत्य का एक कण हो, 'धोखाधड़ी' के तत्वों को प्रथम दृष्टया स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं, तथा इसलिए अभियोगियों के विरुद्ध धारा 420 आई.पी.सी. के अधीन लगाया गया आरोप पूर्णतः असफल होना चाहिए।

<u>भारतीय दंड संहिता की धारा 468 तथा 471 के अधीन जालसाजी का अपराध:</u>

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अधीन 'जालसाजी' का अपराध यह मानता है कि जो कोई जालसाजी करे, इस इरादे से कि जाली बनाया गया दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज धोखा देने के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जो सात वर्ष तक का विस्तार कर सकता है, दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 कहती है कि जो कोई छलपूर्ण या बेईमानीपूर्ण रूप से किसी ऐसे दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करे जिसे वह जानता हो या विश्वास करने का कारण हो कि वह जाली दस्तावेज है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे उसने स्वयं ऐसा दस्तावेज जाली बनाया हो।

22. 'जालसाजी' के अपराध को स्थापित करने के लिए दो प्राथमिक घटकों को पूर्ण करना आवश्यक है, अर्थात्: (i) कि आरोपी ने कोई साधन जाली बनाया है; तथा (ii) यह धोखा देने के उद्देश्य से जाली दस्तावेज के उपयोग के इरादे से किया गया। सरल शब्दों में, जालसाजी का अपराध क्षति या चोट पहुंचाने के बेईमानी वाले इरादे से झूठा दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता रखता है।3

23. 'जालसाजी' तथा 'धोखाधड़ी' के अपराध परस्पर कटुबद्ध तथा समाहित होते हैं, क्योंकि जालसाजी का

3 सुशील सूरी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2011) 5 एससीसी 708, पैरा 26

कार्य किसी व्यक्ति को धोखा देने या छल करने के इरादे से किया जाता है। धारा 420 आई.पी.सी. के अधीन 'धोखाधड़ी' के संदर्भ में बेईमानीपूर्ण इरादे के पहलू को विस्तार से संबोधित करने के बाद, यह स्थापित हो गया है कि अभियोगियों के विरुद्ध कोई बेईमानीपूर्ण इरादा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमारा ध्यान अब संक्षिप्तता के लिए प्रथम तत्व तक सीमित रहेगा, अर्थात् झूठे

दस्तावेज की तैयारी। हालांकि, अभियोगियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर जालसाजी करके झूठा दस्तावेज तैयार किया गया या नहीं, इसका निर्धारण इस चरण पर प्रथम दृष्टया भी निश्चित नहीं किया जा सकता। धोखाधारित्री इरादे का प्राथमिक तत्व स्वयं अभियोगियों के विरुद्ध स्थापित न होने के दृष्टिगत, जालसाजी का अपराध भी खड़ा होने योग्य नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही, जिन्हें आरोपी संख्या 4 के रूप में अभियुक्त ठहराया गया था, पहले ही रद्द हो चुकी है। ऐसी स्थिति में तथा आरोपों की प्रकृति के साथ, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अभियोगियों को परीक्षण की कठिनाई क्यों झेलनी चाहिए।

24. इसके अतिरिक्त, परीक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा नजरअंदाज की गई प्रक्रियागत अनियमितताएँ हैं, जिनकी जाँच आवश्यक है। इन अनुचितताओं की गहन जाँच करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच प्राधिकारी द्वारा दाखिल पूरक आरोप-पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 468 तथा 471 के अधीन 'जालसाजी' का अपराध सम्मिलित किया गया था।

<u>निचली अदालतों द्वारा नजरअंदाज किए गए प्रश्न</u>:

25. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अभियोगियों पर नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर जालसाजी करने का आरोप है। जांच एजेंसी ने प्रारंभ में धारा 468 तथा 471 आई.पी.सी. के आरोपों का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य पाए। तदनुसार, इन प्रावधानों के अधीन कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया। हालांकि, परीक्षण मजिस्ट्रेट के दिनांक 24.06.2015 के आदेश के अनुपालन में, धारा 468, 471 तथा 201 आई.पी.सी. तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(बी) के अधीन पूरक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

26. यह रिकॉर्ड का विषय है कि 'आगे जांच' के दौरान जांच एजेंसी द्वारा कोई नया सामग्री उजागर नहीं की गई। इसके बजाय, पूरक आरोप-पत्र प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्राप्त 15.07.2013 की तिथि वाली ट्रुथ लैब रिपोर्ट पर निर्भर करता है, जो मूल आरोप-पत्र दाखिल करते समय पहले से उपलब्ध थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) में विनिर्दिष्ट 'आगे जांच' शब्द संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को 'आगे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने' का दायित्व सौंपता है, तथा उसके बाद ही ऐसी साक्ष्य के संबंध में निर्धारित प्रारूप में पूरक रिपोर्ट प्रेषित करने का।

27. पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान इस निष्कर्ष पर इंगित करता है कि नया मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए न कि पहले से संग्रहित तथा जांच एजेंसी द्वारा मूल

पुलिस रिपोर्ट (जिसे धारा 173(2) द.प्र.सं.4 के अधीन आरोप-पत्र कहा जाता है) प्रस्तुत करते समय विचारित सामग्री का पुनर्मूल्यांकन या पुनः आंकलन पूरक रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा लिए गए निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए कोई नया साक्ष्य न मिलने के अभाव में, न्यायिक मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट में जांच की कठोरता का अभाव है तथा यह धारा 173(8) द.प्र.सं. की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में विफल है। इस मामले के रिकॉर्ड के तथ्यों से स्पष्ट है कि जांच एजेंसी ने परीक्षण मजिस्ट्रेट के दिनांक 24.06.2015 के आदेश के कथित अनुपालन में यांत्रिक रूप से कार्य किया।

28. दुर्भाग्य से, परीक्षण मजिस्ट्रेट ने आगे जांच निर्देश देते समय यह महत्वपूर्ण पहलू नजरअंदाज कर दिया कि अभियोगियों पर लगाए गए अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII, 'संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में' तथा अध्याय XVIII, 'दस्तावेजों तथा संपत्ति चिह्नों के संबंध में अपराधों के संबंध में' के दायरे में आते हैं। इन दोनों अध्यायों के अंतर्गत वर्णित या उदाहरणित सभी अपराध मुख्य रूप से बेईमानीपूर्ण, छलपूर्ण तथा धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन से उत्पन्न वाणिज्यिक या संपत्ति विवादों से संबंधित हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उसके पश्चात् चोट या क्षति होती है। ये अपराध सामान्यतः वैवाहिक विवादों के प्रचलित क्षेत्र से भिन्न होते हैं, जो इस उदाहरण का मूल कारण हैं।

29. परीक्षण मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करने से पूर्व अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए था तथा निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए थे ताकि यह पता लगाया जा सके: (i) प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट से वंचित क्यों करना चाहते हैं?; (ii) क्या यह स्थिति है कि वे अपने नाबालिग बच्चे को लंदन में अपनी संगति में नहीं लाना चाहते?; (iii) प्रतिवादी संख्या 2 ने नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण, शिक्षा तथा भविष्य के संभावनाओं की व्यवस्था कैसे की है?; (iv) क्या नाबालिग बच्चे को उसके एक अभिभावक की सहमति न होने पर भी पासपोर्ट धारण करने का नागरिक अधिकार है?; (v) क्या जिस अभिभावक की देखभाल एवं हिरासत में वह है, उसी की सहमति से नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट प्रदान किया

4 विनय त्यागी बनाम इरशाद अली और अन्य, (2013) 5 एससीसी 762, पैरा 22

जा सकता है?; (vi) उनके नाबालिग पुत्र द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने से प्रतिवादी संख्या 2 को कौन सी ठोस हानि, चोट या क्षति हुई है? यदि परीक्षण मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी संख्या 2 को इन प्रश्नों से सामना करने का कष्ट लिया होता, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि अभियोगियों को झेलनी पड़ी कठोरता को न्यायिक आदेश के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सकता।

30. हम यह भी समझने में असफल हैं कि जांच एजेंसी या परीक्षण मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षरों की जालसाजी के आरोप के संबंध में प्रथम दृष्टया मत कैसे बना

सके। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, राज्य एफएसएल रिपोर्ट इन आरोपों को पुष्ट नहीं करती। हमारी राय में, निजी प्रयोगशाला से प्राप्त भुगतान प्राप्त रिपोर्ट कमजोर, अविश्वसनीय, असुरक्षित, अविश्वसनीय तथा अविचारपूर्ण साक्ष्य का रूप प्रतीत होती है, जब तक कि किसी अन्य पुष्टिकारी प्रमाण द्वारा समर्थित न हो। यह दुखद है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई अन्य ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, न ही जांच एजेंसी ने परीक्षण मजिस्ट्रेट के आगे जांच के आदेश के अनुपालन में कोई ऐसी सामग्री प्राप्त की। इसलिए परीक्षण मजिस्ट्रेट ने ऐसे समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में प्रथम दृष्टया मत कैसे बनाया, यह हमारी समझ से परे है।

31. परीक्षण मजिस्ट्रेट तथा उच्च न्यायालय दुर्भाग्य से यह समझने में विफल रहे कि वर्तमान विवाद की उत्पत्ति वैवाहिक विवाद में निहित है। प्रतिवादी संख्या 2 पर अभियोगी-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे को त्याग देने का आरोप है, यहाँ तक कि उस अवधि के दौरान भी जब अभियोगी-पत्नी उनके साथ लंदन में अस्थायी रूप से निवास कर रही थीं। इस मामले का कालक्रम उल्लेखनीय है: अभियोगी-पत्नी द्वारा दिनांक 08.04.2010 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अपराध संख्या 68/2010 दर्ज करने के तुरंत बाद, जिसमें आई.पी.सी. की धारा 346, 498क, 506 तथा 34 का आह्वान किया गया था, प्रतिवादी संख्या 2 की प्रतिक्रिया शिकायत दिनांक 13.05.2010 को दर्ज हुई। इसके अलावा, नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट 2009 में ही जारी हो चुका था। स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही शिकायत करने का निर्णय मात्र संयोग था।

32. एक ओर, कोई संकेत भी नहीं है कि अभियोगी संख्या 1 ने कभी प्रतिवादी संख्या 2 को उनकी चल या अचल संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति का त्याग करने के लिए धोखा देने या प्रेरित करने का प्रयास किया, न तो अपने लाभ के लिए या न ही नाबालिग बच्चे के लिए। दूसरी ओर, विधि प्रतिवादी संख्या 2 पर अपनी पत्नी तथा नाबालिग बच्चे को पर्याप्त भरण-पोषण प्रदान करने का दायित्व लादती है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 13.05.2010 को दर्ज शिकायत, जिसमें जालसाजी तथा निर्माण के आरोप लगाए गए हैं, उनके नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए उन्होंने कौन से उपाय किए हैं, इस पर सुविधाजनक रूप से मौन है।

33. इन परिस्थितियों के प्रकाश में, परीक्षण मजिस्ट्रेट को शिकायत का उचित सावधानी तथा विवेक के साथ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, यह पहचानते हुए कि आरोप संपत्ति या संपत्ति चिह्नों से संबंधित दस्तावेजों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित नहीं हैं। अभियोगियों के विरुद्ध न्यायिक प्राधिकार का प्रयोग करने के बजाय, परीक्षण मजिस्ट्रेट को विवेक का प्रयोग करना चाहिए था, वास्तविक 'पीड़ित' या 'पीड़क' को पहचानने के लिए कम से कम प्रारंभिक प्रयास करके। ऐसा न करने में विफलता दोनों दोषपूर्ण तथा भयानक है।

34. उपरोक्त चर्चा का सार एवं पदार्थ यह है कि 'धोखाधड़ी' तथा 'जालसाजी' के प्रारंभिक तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। इसलिए, अभियोगियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही का निरंतरता विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग ही है।

<u>पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(ख) के संदर्भ में:</u>

35. आई.पी.सी. के उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त, अभियोगियों पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(बी) के अधीन अपराध करने का भी आरोप लगाया गया है। धारा 12(बी) स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि, जो कोई जानबूझकर कोई झूठी सूचना प्रस्तुत करे या कोई सामग्री सूचना दबाए, इस अधिनियम के अधीन पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने की दृष्टि से या वैधानिक प्राधिकार के बिना, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों को संशोधित करे या संशोधित करने का प्रयास करे या संशोधित करवाए, उसे दो वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

36. प्रावधान की भाषा से स्पष्ट है कि यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने जानबूझकर झूठी सूचना प्रस्तुत की या सामग्री सूचना दबाई पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के इरादे से। वर्तमान मामले में, यह विचारणीय है कि राज्य एफएसएल रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पासपोर्ट आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी अस्पष्ट थी। इसके अलावा, इस प्रकार के अपराध का संज्ञान केवल निर्धारित प्राधिकारी के उदाहरण पर ही लिया जा सकता है। अभियोगियों के विरुद्ध इस आशय का कोई शिकायत प्रकट नहीं की गई है। इसलिए, यह न्यायालय केवल अनुमान

और गुमानों के आधार पर ऐसी गंभीर अपराधों तथा दंडों को आह्वान करने से पूर्व सावधानी बरतेगा।

<u>प्रतिवादी संख्या 2 का आचरण:</u>

37. धोखाधड़ी तथा जालसाजी के तत्वों की जाँच करने के बाद, प्रारंभ से ही प्रतिवादी संख्या 2 के आचरण पर विचार करना भी आवश्यक है। प्रथम, संबंधित पक्षकारों के बीच विवाह के संपन्न होने के पश्चात, अभियोगी-पत्नी ने कथित रूप से शारीरिक एवं मानसिक यातना सही तथा नाबालिग बच्चे के जन्म के बाद भी प्रतिवादी संख्या 2 तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। द्वितीय, नाबालिग बच्चे का मूल पासपोर्ट प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति एवं समर्थन से जारी होने का अनुमान है। उन्होंने कथित रूप से वीजा उद्देश्यों के लिए अपनी पत्नी तथा नाबालिग पुत्र की यात्रा का प्रायोजन अपने भाई-बहनोई के माध्यम से किया, जिन्होंने अपने प्रायोजन पत्र में नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया। तृतीय, प्रतिवादी संख्या 2 ने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट जारी होने की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद अभियोगी-पत्नी द्वारा अपराध संख्या 68/2010 में दर्ज शिकायत के प्रतिकार के रूप में संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का चयन किया। इस प्रकार, अभियोगियों को अनावश्यक रूप से आपराधिक कार्यवाही में उलझा दिया गया तथा उन्हें अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये उदाहरण वर्तमान कार्यवाही के प्रारंभ से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 के आचरण पर प्रकाश डालते हैं तथा इन्हें प्रेरित करने वाले उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करते हैं।

38. यह निर्विवाद है कि अभियोगियों तथा प्रतिवादी संख्या 2 के बीच स्पष्ट मतभेद होने के बावजूद, जिसके परिणामस्वरूप अनेक शिकायतें तथा विधिक कार्यवाहियाँ हुईं, वर्तमान मुद्दे ने नाबालिग बच्चे के अधिकारों तथा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, यद्यपि पूर्ण नहीं, तथा स्थापित विधिक प्रक्रियाओं के अधीन।5 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रदर्शित आचरण नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हितों का उल्लंघन करता है, जो बच्चे के अवसरों की प्राप्ति तथा अंतर्निहित मूल्य के साकारण के लिए विदेश यात्रा की आवश्यकता रखता है, जो संविधान द्वारा निहित बच्चे की गरिमा के अनुरूप है।6

ई. निष्कर्ष एवं निर्देश

39. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है; उच्च न्यायालय का आवेदित निर्णय दिनांक

5 मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य (1978) 1 एससीसी 248, पैरा 76, 80-85

6 के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1, पैरा 376-379

18.02.2021 तथा परीक्षण मजिस्ट्रेट का निर्णय दिनांक 15.03.2018 यहाँ निरस्त किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बेंगलुरु के अदुगुड़ी पुलिस स्टेशन पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2010, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 पठित धारा 34 के अधीन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अभियोगियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, तथा इससे उत्पन्न सभी कार्यवाहियाँ यहाँ रद्द की जाती हैं।

40. प्रतिवादी संख्या 2 को अभियोगी संख्या 1 को 1,00,000 रुपये की लागत का भुगतान करना होगा। उसी प्रकार आदेश दिया जाता है, प्रतिवादी संख्या 2 छह सप्ताह के भीतर लागत का भुगतान करेंगे, अन्यथा परीक्षण मजिस्ट्रेट को इसके वसूलने के लिए बाध्यकारी उपाय आरंभ करने का निर्देश दिया जाता है।

शीर्षक तैयार किया गया: अंकित ज्ञान *मामले का परिणाम: अपील स्वीकार*

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|